राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 67 / 17

किस्म मुकदमा :

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 30.10.2017

निर्णय दिनांक : 15.12.2017

राजस्थान सरकार बनाम मदनलाल पुत्र कानाराम जाति बंजारा नि0 कुचामन सिटी

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कुचामन सिटी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मदनलाल पुत्र कानाराम जाति बंजारा निवासी कुचामन सिटी नें ग्राम कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 2389 कुल रकबा 38.01 हैक्टेयर में से रकबा 0.012 हैक्टर किस्म गै.मु. खारड़ा भूमि पर सम्वत 2074 में मकान व कच्चा छप्पर बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किया गया। नोटिस की प्रति गैर सायल स्वय ने प्राप्त किया। गैर सायल उपस्थित होकर जवाब पेश कर कथन किया कि में एक भूमिहीन व्यक्ति हुँ तथा में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया है।

गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि जिससे प्रार्थना –पत्र मे उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि हो सके एवं न ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है। एवं उक्त भूमि आज दिन भी राजस्व रिकार्ड में गैर मु. खारड़ा दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि गैर सायल ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

गैर सायल को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है, तथा कस्बा कुचामन सिटी के आराजी राज खसरा नम्बर 2389 कुल

तहसीलदार
तहसील कुचामन सिटी (नागौर)

लगातार

रकबा 38.01 हैक्टेयर किस्म गै.मु. खारड़ा भूमि में से रकबा 0.012 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप गैर सायल पर लगान 0.06 का पच्चास गुणा से राशि 03/– अक्षरे तीन रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को गैर सायल को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद शर्मा)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर –राज0

मॉंग कायमी रा.ले.स.-4
क्रि पृष्ठ संख्या 11
वर्ष 2017-18
रा.जुर्माना 3
क.निलामी –
गोचर जुर्माना –
प्रा.पैदावार –

तरा.ले कुचामन सिटी